स्पीड पोस्ट द्वारा**BY SPEED POST**

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)

संo के.भ.नि. / III–68(i) /एजीएम.–2016–17/बीएण्डसी   दिनांकः 18–08–2017

सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 20 के साथ पठित भंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 13 (1) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि केन्द्रीय भंण्डारण निगम के अंशधारियों की 55वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 23 सितम्बर, 2017 (शनिवार) को प्रातः 11.30 बजे वेअरहाउसिंग भवन 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली–110016 स्थित ऑडिटोरियम में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जायेंगेः–

1. केन्द्रीय भण्डारण निगम की 24 सितम्बर, 2016 को हुई 54वीं वार्षिक साधारण बैठक के कार्यवृतों की पुष्टि ।
2. वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों तथा इन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित वर्ष 2016–17 के दौरान निगम के कार्य कलाप पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट पर चर्चा तथा इनका अंगीकरण ।
3. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

टिप्पणी

क. कोई अंशधारी अथवा परोक्षी धारक निगम की किसी वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने और वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक संकल्प की प्रति तथा वार्षिक साधारण बैठक में वोट देने के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्धारित प्रपत्र में परोक्षी के साथ प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति निगम के निगमित कार्यालय में 18 सितम्बर, 2017 तक अथवा इससे पहले जमा न कर दी जाएगी। अतः 18 सितम्बर, 2017 के बाद तथा सूचना जारी होने की तारीख से पहले जमा की गई परोक्षी/ए.आर पर विचार नही किया जाएगा । (केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 31 एवं 32)

ख. निगम का शेयर रजिस्टर 25 अगस्त, 2017 से 23 सितम्बर, 2017 तक बन्द रहेगा ।

(भण्डारण निगम नियम, 1963 के नियम 21)

ग. केन्द्रीय भण्डारण निगम की 23.9.2017 को होने वाली अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने वाले अंशधारियों के प्रतिनिधियों को नियमानुसार किसी टी.ए./डी.ए. के भुगतान का प्रावधान नही है ।

भवदीय

अनंगपाल
सचिव

टेलीफोन नं.: 26966268, 26566107/124   फैक्स नं0 : 26518013

जन जन के लिए भण्डारण **Warehousing for Every One**

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्राति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016
- Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
दूरभाष Telephone : 26966268 और and 26566107 फैक्स 91-11-26518013

स्पीड पोस्ट द्वाराBY SPEED I

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)

No. CWC/III-69 (i)/AGM-2016-17/B&C

Dated: 18th August, 201'

NOTICE

Pursuant to Section 13(1) of the Warehousing Corporations Act, 1962 read with Regul; 20 of the Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965, notice is hereby ; that the 55th Annual General Meeting of the shareholders of Central Warehousing Corpor: will be held at Corporate office at 11.30 A.M. on 23rd September, 2017 (Saturda the Auditorium of the Corporation situated at 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti M Hauz Khas, New Delhi-110016, to transact the,following business:-

1. To confirm the minutes of the 54th Annual General Meeting held 24th September, 2016.
2. To discuss and adopt the Annual Accounts of the Corporation for the year 2016- 17 Auditor's Report thereon together with the Report of the Board of Directors on the workir the Corporation during the year 2016-17.
3. Any other matter with the permission of the Chair.

Note

a) No shareholder or proxy holders shall attend or vote at any Annual General Meeting Corporation unless a copy of the resolution and the proxy in the prescribed form is made specially for the purpose of voting at the Annual General Meeting and is deposited alongw duly certified copy of resolution signed under the seal of the certifying officer at the H Office of the Corporation on or before 18th September, 2017. As such the proxies/A deposited after 18th September, 2017 and prior to the date of issue of notice will not entertained.

(Regulation 31 & 32 of the CWC (General) Regulations, 1965).

b) The Share Register of the Corporation shall remain closed fr 25th August, 2017 to 23rd September, 2017.

(Rule 21 of the Warehousing Corporation Rules,1963)

c) As per Rules, there is no provision for payment of TA/DA to the representative of Shareholders who may attend the Annual General Meeting of the Shareholders of the Cent Warehousing Corporation scheduled to be held on 23rd September. 2017.

Yours truly,

(Anangpal)
Secretary

Telephone No. 26966268 26566107 Extn., 124 Fax No. 26518013

जन जन के लिए भण्डारण **Warehousing for Every One**

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्राति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 11001
- Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
दूरभाष Telephone : 26966268 और and 26566107 फैक्स 91-11-26518013

Cwc Security Hologram No.

संख्या/No. . . . . . .

मूल-1

Original-1

फार्म **केन्द्रीय भंडारण निगम** हम..जो कि केन्द्रीय भण्डारण निगम के अंशधारी हैं और हमारे ....अंश हैं, जिनका संख्यांक...है। हम एतद्द्वारा......... ....को (उसके उपस्थित न होने पर ....के ....को) निगम के अंशधारियों की ______ सितम्बर माह, 2017 के ______________ के दिन होने वाली बैठक में और उसके किसी आस्थगन के समय हमारे लिए और हमारी ओर से मत देने के लिए प्राक्सी नियुक्त करते हैं। माह ....की .... तारीख को ....दिन, 2017 को हस्ताक्षरित	**FORM** **CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION** We____ ____of ____being a shareholder of the Central Warehousing Corporation holding_________Shares Nos.____ hereby appoint_________________________________of_____ ______________________________(or failing him/her____ of____) as our proxy to vote for us and on our behalf at a meeting of the shareholders of the Corporation to be held on __________day the _____ day of September, 2017 and at any adjournment thereof. Signed this .... day of .... 2017.

संख्या/No. . . . . . .

CWC Security Hologram No.

मूल-2 Original-2

फार्म

केन्द्रीय भंडारण निगम

हम...जो कि केन्द्रीय भण्डारण निगम के अंशधारी हैं और हमारे ....अंश हैं, जिनका संख्यांक...है। हम एतद्द्वारा......... ....को (उसके उपस्थित न होने पर ....के ....को) निगम के अंशधारियों की _____ सितम्बर माह, 2017 के ___________दिन को होने वाली बैठक में और उसके किसी आस्थगन के समय हमारे लिए और हमारी ओर से मत देने के लिए प्राक्सी नियुक्त करते हैं।

माह ....की .... तारीख को ....दिन, 2017 को हस्ताक्षरित

FORM

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

We____ ____of ____being a shareholder of the Central Warehousing Corporation holding_________Shares Nos.____ hereby appoint_____________________________________of______ ______________________________(or failing him/her____ of____) as our proxy to vote for us and on our behalf at a meeting of the shareholders of the Corporation to be held on __________day the ________ day of September, 2017 and at any adjournment thereof.

Signed this .... day of .... 2017.

नोट /Note

अंशधारी संस्था के पत्र के साथ विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि (Authorized representative) के रुप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति पर हस्ताक्षर और अंशधारी संस्था की मोहर लगी होनी चाहिए, सभी कालॅम भरे हुए, हस्ताक्षर और अंशधारी संस्था की मोहर लगी मूल प्रोक्सी फार्म-1 जिस पर केन्द्रीय भण्डारण निगम का सुरक्षा होलोग्राम स्टीकर लगा हो एवं अपना आई डी प्रूफ (वोटर आई डी कार्ड/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाईसेंस आदि) की एक फोटो कापी दिनॉक **18 सितम्बर, 2017** को या इससे पहले इस कार्यालय को भेजनी है दिनॉक **18 सितम्बर, 2017** के बाद आई इन प्रोक्सीयों पर विचार नही किया जाएगा। प्रोक्सी फार्म पर जिसका नाम लिखा हो वह भेजी गई मूल प्रोक्सी फार्म-2 (जिस पर केन्द्रीय भण्डारण निगम का सुरक्षा होलोग्राम स्टीकर लगा हो) एवं अपना मूल फोटो आई डी प्रूफ (वोटर आई डी कार्ड/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाईसेंस आदि) और आई डी प्रूफ की एक फोटो कापी साथ लेकर आयें अन्यथा उसको वार्षिक साधारण बैठक में शामिल होने से रोका जा सकता है।

The copy of proposal for appointing authorized representative should be stamped & signed by shareholding institutions, all Columns of original proxy-1 form should be filled, stamped & signed with forwarding letter and photo copy of ID proof of that shareholding institution should be sent to this office on or before dated **18th September, 2017**. It will not be considered after dated **18th September, 2017**. Proxy holder will bring his/her original photo ID proof (Voter ID Card/Aadhar Card/Driving License etc.) alongiwth photo copy of ID proof and the original-2 proxy form having all columns filled, singed and stamped by shareholding institutions, on which his/her name is mentioned otherwise he/she may not be allowed to attend the Annual General Meeting.

By SPEED POST

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007

TÜV Rheinland CERTIFIED

No. CWC/III-69(i)/AGM-2016-17/B&C Dated: 09.06.2017

To,

The Chairman/Managing Director/Secretary,
All Shareholders of the Central Warehousing Corporation.

Dear Sir/Madam,

The Annual General Meeting (AGM) of Central Warehousing Corporation will be held in August/September, 2017.

Your attention is invited to Section 13 of the Warehousing Corporations Act, 1962 and Regulation 21(1) of the Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965 which provide as under:-

"Section 13 of the Warehousing Corporations Act, 1962:

(1) The annual general meeting of the Central Warehousing Corporation (hereinafter referred to as the annual general meeting) shall be held every year either at its head-office or at any other office of the Corporation within six months of the close of the financial year, and any other general meeting may be convened by the board of directors at any other time.

(2) The shareholders present at the annual general meeting shall be entitled to discuss the annual accounts, the report of the board of directors on the working of the Corporation during the year under report, as well as the auditor's report on the annual balance-sheet and accounts."

"Regulation 21: Business at Annual General Meeting:

(1) At the annual general meeting the following business may be transacted namely:-
(a) Business specified in sub section (2) of Section 13.
(b) The election, if any, of directors
(c) Such other business of which not less than five weeks' notice is given in the form of a definite resolution by not less than ten shareholders qualified to vote at such meeting."

In accordance with the above, the Shareholders may send resolution, if any, proposed to be moved at the AGM to be held in the form of definite resolution proposed by not less than 10(ten) shareholders qualified to vote at such meeting to the undersigned on or before 17.07.2017.

Yours truly,

(Anangpal)
Secretary

By SPEED POST

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007

सं0: के.भ.नि / III–69(i) / ए.जी.एम.–2016-17 / बी.एण्ड सी

दिनांक: 09 जून, 2017

सेवा में

अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / सचिव,
केन्द्रीय भण्डारण निगम के सभी अंशधारी

प्रिय महोदय / महोदया,

केन्द्रीय भण्डारण निगम के अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक अगस्त/सितम्बर, 2017 में आयोजित की जाएगी।

आपका ध्यान वेअरहाउसिंग कारपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 13 एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 21(1) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :

"वेअरहाउसिंग कारपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 13:

(1) केन्द्रीय भण्डारण निगम की वार्षिक साधारण बैठक (जिसे आगे वार्षिक साधारण बैठक कहा गया है) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्दर इसके मुख्यालय अथवा निगम के किसी अन्य कार्यालय में होगी और अन्य कोई साधारण बैठक निदेशक मण्डल द्वारा किसी अन्य समय पर बुलाई जा सकेगी ।

(2) वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित अंशधारियों को रिपोर्ट वर्ष में वार्षिक लेखों, निगम की कार्यप्रणाली पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट तथा वार्षिक तुलन–पत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श करने का अधिकार होगा ।"

"विनियम 21 : वार्षिक साधारण बैठक के कार्य:

(1) वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 13 की उपधारा (2) में निर्धारित कार्य
(ख) निदेशकों का निर्वाचन, यदि कोई हो
(ग) ऐसे अन्य कार्य जिसके लिए ऐसी बैठक में वोट देने के पात्र कम से कम दस अंशधारियों द्वारा निश्चित प्रस्ताव के रूप में कम से कम पांच सप्ताह पूर्व सूचना दी गई हो ।"

उपरोक्त के अनुसार अंशधारी उपर्युक्त बैठक में यदि कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो ऐसी बैठक में वोट देने के पात्र कम से कम दस अंशधारियों द्वारा निश्चित प्रस्ताव के रूप मे कृपया अधोहस्ताक्षरी को 17.07.2017 या उससे पूर्व भेज दे ।

भवदीय,

(अनंगपाल)
सचिव

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016
- Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
दूरभाष Telephone : 26966268 और and 26566107 फैक्स 91-11-26518013